

**Government of India**  
**Ministry of Communications**  
**Department Of Telecommunications**  
**Telecommunication Engineering Centre**  
Khurshidlal Bhawan, Janpath, New Delhi-110001

No. TEC/10/2018-TC

New Delhi, the 12<sup>th</sup> March, 2019

**NOTIFICATION**

**Subject: Mandatory Certification of Telecom Equipment**

Attention is invited to this office notification of even number dated 27<sup>th</sup> September 2018, wherein it was notified that telecom equipment specified in para 1 of the said order, imported or sold on or after 1.1.2019, and telecom equipment specified in para 2 of the said order, imported or sold on or after 1.4.2019, were to be subjected to Mandatory Testing and Certification of Telecom equipment (MTCTE), under provisions of Indian Telegraph (Amendment) Rules 2017. Extension of the date mentioned in para 1 of the said order was under consideration of Government, as was notified vide notification of even number dated 31<sup>st</sup> December 2018.

2. It has now been decided that certification of all telecom equipment under MTCTE shall be mandatory with effect from 1<sup>st</sup> August 2019.
3. This issues with the approval of competent authority.

  
(Shakeel Ahmad)

Deputy Director General (TC)

Copy to:

1. PPS to Secretary (T)
2. PPS to Member(S)/ Member(T)/ Member(F), DGT
3. PPS to Adviser(O)/ Adviser(T)/ Adviser(F)
4. Adviser(TEC)/ All DDGs (TEC)
5. JS(Customs) CBIC
6. Commissioner(Single Window), CBIC
7. DDG(IC)/ DDG(Security)/ DDG(NT) DoT
8. DDG(IT) DoT for uploading on DoT website.

भारत सरकार  
संचार मंत्रालय  
दूरसंचार विभाग  
दूरसंचार अभियांत्रिकी केंद्र  
खुशीदलाल भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001

सं: TEC/10/2018-TC


नई दिल्ली, 12 मार्च, 2019

**अधिसूचना**

विषय: दूरसंचार उपकरणों का अनिवार्य प्रमाणन

कृपया इस कार्यालय की सम संख्या की अधिसूचना दिनांक 27 सितंबर 2018 का सन्दर्भ लें, जिसमें यह सूचित किया गया था कि उक्त आदेश के पैरा 1 में निर्दिष्ट दूरसंचार उपकरण जो की 1.1.2019 या उसके बाद आयातित या बिक्रीकृत होंगे, और उक्त आदेश के पैरा 2 में निर्दिष्ट दूरसंचार उपकरण जो की 1.4.2019 या उसके बाद आयातित या बिक्रीकृत होंगे, उनका प्रमाणन भारतीय टेलीग्राफ (संशोधन) नियम 2017 के प्रावधानों के तहत दूरसंचार उपकरणों के अनिवार्य परीक्षण और प्रमाणन (MTCTE) के अधीन अनिवार्य होगा। उक्त आदेश के पैरा 1 में निर्दिष्ट तिथि को बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था, जैसा कि इस कार्यालय की सम संख्या की अधिसूचना दिनांक 31 दिसंबर, 2018 द्वारा सूचना दी गई थी।

2. अब यह निर्णय लिया गया है कि MTCTE के तहत सभी दूरसंचार उपकरणों का प्रमाणन 1 अगस्त 2019 से अनिवार्य होगा ।
3. यह अधिसूचना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से जारी की जा रही है ।

  
(शकील अहमद)

उप महा निदेशक (टी०सी०)

प्रतिलिपि:

1. प्र० निजी सचिव, सचिव (दूरसंचार)
2. प्र० निजी सचिव, सदस्य (से०)/ सदस्य (त०)/ सदस्य (वि०)/ महा निदेशक (दूरसंचार)
3. प्र० निजी सचिव सलाहकार (सं०)/ सलाहकार (त०)/ सलाहकार (वि०)
4. सलाहकार/ सभी उ०म०निदेशक (TEC)
5. संयुक्त सचिव (कस्टम), के०अ०कर एवं सी०शु०बो०
6. आयुक्त (SW), के०अ०कर एवं सी०शु०बो०
7. उ०म०नि०(IC)/ उ०म०नि०(सु०)/ उ०म०नि०(NT) DoT
8. उ०म०नि०(IT) DoT, DoT की वेबसाइट पर अपलोड करें